षोडश माला, खंड 36, अंक 2

शुक्रवार, 1 फरवरी, 2019

12 माघ, 1940 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

सत्रहवां सत्र
(सोलहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

(खण्ड 36 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : एक सौ पन्द्रह रुपये

सम्पादक मण्डल

स्नेहलता श्रीवास्तव
महासचिव
लोक सभा

अनीता बी. पंडा
संयुक्त सचिव

अजीत सिंह यादव
निदेशक

एस.बी. त्रिपाठी
अपर निदेशक

कीर्ति प्रभा
संयुक्त निदेशक

इन्दु बक्शी
सम्पादक

© 2019 लोक सभा सचिवालय

हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। इसमें सम्मिलित मूलत: अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में दिए गए भाषणों का हिन्दी अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा। पूर्ण प्रामाणिक संस्करण के लिए कृपया लोक सभा वाद-विवाद का मूल संस्करण देखें।

लोक सभा सचिवालय की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी सामग्री की न तो नकल की जाए और न ही पुन: प्रतिलिपि तैयार की जाए, साथ ही उसका वितरण, पुन: प्रकाशन, डाउनलोड, प्रदर्शन तथा किसी अन्य कार्य के लिए इस्तेमाल अथवा किसी अन्य रूप या साधन द्वारा प्रेषण न किया जाए, यह प्रतिबंध केवल इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, फोटोप्रति, रिकॉर्डिंग आदि तक ही सीमित नहीं है। तथापि इस सामग्री का केवल निजी, गैर वाणिज्यिक प्रयोग हेतु प्रदर्शन, नकल और वितरण किया जा सकता है बशर्ते कि सामग्री में किसी प्रकार का परिवर्तन न किया जाए और सभी प्रतिलिप्यधिकार (कॉपीराइट) तथा सामग्री में अन्तर्विष्ट अन्य स्वामित्व संबंधी सूचनाएं सुरक्षित रहें।

इन्टरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http://www.parliamentofindia.nic.in

लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का लोक सभा टी.वी. चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रातः 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण और अंग्रेजी संस्करण की प्रतियां तथा संसद के अन्य प्रकाशन, विक्रय फलक, संसद भवन, नई दिल्ली-110001 पर बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

© 2019 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (सोलहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और चौधरी मुद्रण केन्द्र, दिल्ली-110053 द्वारा मुद्रित।

विषय सूची

षोडश माला, खंड 36, सत्रहवां सत्र, 2019/1940 (शक)

अंक 02, शुक्रवार, 01 फरवरी, 2019/12 माघ, 1940 (शक)

विषय	**कॉलम**
अंतरिम बजट - 2019-2020	
श्री पीयूष गोयल	1-33
विवरण :	
(एक) मध्यम - अवधि राजवित्तीय नीति सह राजवित्तीय नीति युक्ति संबंधी विवरण;	
और	
(दो) वृहत - आर्थिक रूपरेखा संबंधी विवरण।	
श्री पीयूष गोयल	34
वित्त विधेयक, 2019	34

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्रीमती सुमित्रा महाजन

उपाध्यक्ष

डॉ. एम. तंबिदुरै

सभापति तालिका

श्री अर्जुन चरण सेठी

श्री हुक्मदेव नारायण यादव

श्री आनंदराव अडसुल

श्री प्रह्लाद जोशी

डॉ. रत्ना डे (नाग)

श्री रमेन डेका

श्री कोनाकल्ला नारायण राव

श्री के. एच. मुनियप्पा

डॉ. पी. वेणुगोपाल

श्री कलराज मिश्र

महासचिव

श्रीमती स्नेहलता श्रीवास्तव

लोक सभा

शुक्रवार, 01 फरवरी, 2019/12 माघ, 1940 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

(**माननीय अध्यक्ष** *पीठासीन हुईं)*

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: वित्त मंत्री जी।

...*(व्यवधान)*

श्री के.सी. वेणुगोपाल (अलप्पुझा) : महोदया, पूरा मीडिया बजट की रिपोर्टिंग कर रहा है।...*(व्यवधान)*

श्री कोडिकुन्नील सुरेश (मावेलीक्करा) : महोदया, यह बजट पहले ही लीक हो चुका है।...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : जी, मंत्री महोदय।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : पहले बजट पेश हो जाने दें, फिर बोलिए।

...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : अभी बैठिए, बाद में बोलिए।

...*(व्यवधान)*

पूर्वाह्न 11.01 बजे

अंतरिम बजट- 2019-2020*

माननीय अध्यक्ष : जी, मंत्री महोदय।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

रेल मंत्री, कोयला मंत्री, वित्त मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्री (श्री पीयूष गोयल): मैडम स्पीकर, मैं वर्ष 2019-20 के लिए भारत सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण प्रस्तुत करने के लिए आपसे अनुमति चाहता हूं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया, मैं वर्ष 2019-20 का अंतरिम बजट प्रस्तुत कर रहा हूं।...*(व्यवधान)*

भाग – क

आज मुझे श्री अरूण जेटली की अनुपस्थिति बहुत खल रही है। मुझे विश्वास है कि सदन मेरे साथ श्री जेटली के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ, अच्छे स्वास्थ्य और राष्ट्र की सेवा के लिए उनकी दीर्घायु की कामना करेगा।

अध्यक्ष महोदया, भारत की जनता ने इस सरकार को मजबूत जनादेश दिया। हमने माननीय प्रधानमंत्री जी नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शितापूर्ण नेतृत्व में सर्वाधिक निर्णायक, स्थिर और स्वच्छ सरकार दी है और परिवर्तनकारी संरचनागत सुधार शुरू किए हैं। हमने उस नीतिगत विरोध को उलट दिया है जिससे यह राष्ट्र पीड़ित था और हमने देश की छवि को सुधारा-संवारा है।...*(व्यवधान)* *[हिन्दी]* इस सरकार की उपलब्धि रही कि हमने सोच को बदलने के अथक प्रयास किए और देश के आत्मविश्वास को बढ़ाया।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

मैं गर्व से कह सकता हूँ कि भारत पूरी मजबूती से वापस विकास-पथ पर लौट आया है और विकास एवं समृद्धि की ओर बढ़ रहा है। हमने सतत् विकास, प्रगति और हमारी जनता के लिए बेहतर जीवन स्तर की बुनियाद रख दी है।...*(व्यवधान)*

हम वर्ष 2022 तक, 'न्यू इंडिया' साकार करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, जब भारत स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरा करेगा : एक ऐसा भारत जो स्वच्छ और स्वस्थ है, जहां हरेक के पास अपना घर होगा जिसमें शौचाल्य होगा और पानी एवं बिजली उपलब्ध होगी; जहां किसानों की आमदनी दोगुनी हो चुकी होगी; युवा वर्ग और महिलाओं को अपने सपने पूरे करने के लिए भरपूर अवसर मिलेंगे; और एक ऐसा भारत जो आतंकवाद, सांप्रदायिकता, जातिवाद, भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद से मुक्त होगा।...*(व्यवधान)*

अर्थव्यवस्था की स्थिति

अध्यक्ष महोदया, पिछले पांच वर्षों में भारत को वैश्विक अर्थव्यवस्था के एक चमकते सितारे के रूप में मान्यता मिली है। इस अवधि में देश में वृहत आर्थिक स्थिरता का सर्वोत्तम दौर

---

* ग्रंथालय में भी रखा गया, ***देखिए*** संख्या एलटी-10776/16/19

देखा गया। हम विश्व की सबसे तेज विकसित होती बड़ी अर्थव्यवस्था हैं जिसकी औसत जीडीपी वृद्धि पिछले पांच वर्षों के दौरान वर्ष 1991 में शुरू किए गए आर्थिक सुधारों के बाद से किसी भी सरकार द्वारा हासिल की गई सर्वाधिक दर है। वर्ष 2013-14 में विश्व की 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के दर्जे से बढ़ते हुए आज हम विश्व की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। उच्च वृद्धि दर हासिल करने के अलावा, हमने द्विअंकीय मुद्रास्फीति पर काबू पाया है और राजकोषीय संतुलन बहाल किया है।

मुद्रास्फीति गरीबों और मध्यम वर्ग पर आरोपित एक छुपे हुए और अन्यायपूर्ण कर के समान है। वर्ष 2009-2014 के दौरान मुद्रास्फीति की औसतदर 10.1 प्रतिशत की कमर तोड़ दर रही थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री ने काफी हद तक यह स्वीकार किया जब उन्होंने कहा "हम जितना चाहते थे, सतत् मुद्रास्फीति को काबू में रखने में हम उतना सफल नहीं हो पाएं हैं। यह मूलत: खाद्य मुद्रास्फीति के बढ़ने के कारण हुआ है।" इसके विपरीत, हमारी सरकार ने कमर तोड़ महंगाई की कमर ही तोड़ दी। हमने औसत मुद्रास्फीति को कम करके उसे 4.6 प्रतिशत के स्तर पर ला दिया जो किसी भी अन्य सरकार के कार्यकाल के दौरान मुद्रास्फीति से कम है। दिसम्बर, 2018 में महंगाई सिर्फ 2.19 प्रतिशत पर घटकर आ गई। यदि हमने मुद्रास्फीति पर काबू नहीं पाया होता, तो हमारे परिवार आज भोजन, यात्रा, उपभोक्ता, टिकाऊ वस्तुओं, आवास इत्यादि जैसी बुनियादी आवश्यकताओं पर लगभग 35-40 प्रतिशत अधिक खर्च कर रहे होते। *[हिन्दी]* आप कल्पना कीजिए 35-40 प्रतिशत हर परिवार का अधिक खर्चा होता, अगर हमने मंहगाई पर लगाम नहीं लगाई होती।

[अनुवाद]

राजकोषीय घाटा छह वर्ष पूर्व के लगभग 6 प्रतिशत के उच्च स्तर से कम करके 2018-19 संशोधित अनुमान में 3.4 प्रतिशत पर लाया गया। छह वर्ष पहले चालू खाता घाटा के 5.6 प्रतिशत के उच्च स्तर के मुकाबले इस वर्ष इसके जीडीपी के केवल 2.5 प्रतिशत रहने की संभावना है। वित्त आयोग द्वारा केन्द्रीय करों में राज्यों का हिस्सा 32 प्रतिशत से बढ़ाकर 42 प्रतिशत करने की सिफारिशों, जिन्हें हमने सहकारी संघवाद की सच्ची भावना से स्वीकार किया, जिसके कारण राज्यों को उल्लेखनीय रूप से उच्चतर राशि के अंतरण के बावजूद हमने राजकोषीय घाटे पर नियंत्रण रखा है।

स्थिर और पूर्वानुमान योग्य विनियामक व्यवस्था, विकसित होती अर्थव्यवस्था और सुदृढ़ मूल सिद्धांतों के कारण पिछले पांच वर्षों के दौरान भारत भारी मात्रा में 239 बिलियन डालर तक का विदेशी प्रत्यक्ष निवेश आकर्षित कर सका है। इस अवधि में भी विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नीति के उदारीकरण में तेजी भी देखने को मिली है, जिससे अधिकांश विदेशी प्रत्यक्ष निवेश स्वत: मार्ग के जरिए किया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदया, पिछले पांच वर्षों में अगली पीढ़ी के संरचनात्मक सुधारों की लहर रही है, जिससे कई दशकों के लिए उच्च वृद्धि का मंच तैयार हुआ है। हमने, माल और सेवा कर (जीएसटी) तथा अन्य कराधान सुधार शुरू करके आमूल सुधार लाए हैं।

बैंकिंग सुधार और शोधन अक्षमता एवं दिवालियापन संहिता (आईबीसी)

वर्ष 2008-14 की अवधि अत्यधिक ऋण वृद्धि की अवधि के रूप में याद की जाएगी और जो भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार अनर्जक ऋणों और भारग्रस्त आस्तियों में वृद्धि के लिए मुख्य कारण है। सरकारी क्षेत्र के बैंकों का बकाया ऋण इस अवधि के दौरान 18 लाख करोड़ रुपये से बहुत अधिक बढ़कर 52 लाख करोड़ रुपये हो गया। बहुत सी परियोजनाएं शुरू की गईं जो या तो पूरी नहीं की गई या उनके उपयोग की क्षमता कम थी जिसके फलस्वरूप अपने ऋणों की अदायगी करने में वे असमर्थ रहे।

वर्ष 2014 में 5.4 लाख करोड़ रुपये मूल्य की बहुत अधिक भारग्रस्त और अनर्जक परिसंपत्तियां थी। बहुत सी परिसंपत्तियां पुनर्संरचना तरीके के जरिए छिपाई गई थीं या अन्य जिनकी जानकारी वर्ष 2015 से शुरू की गई परिसंपत्ति गुणवत्ता समीक्षाओं और निरीक्षणों के दौरान मिली। *[हिन्दी]* हमारी सरकार में यह दम था कि हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कहें कि वह सभी लोन्स को देखे और बैंकों की सही स्थिति को देश के सामने रखे।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

हमने ऐसे संदिग्ध प्रचालनों को बंद किया और "फोन बैंकिंग" की संस्कृति समाप्त की। पहचान, समाधान, पुन: पूंजीकरण और सुधारों का अनुसरण किया गया है। स्वच्छ बैंकिंग सुनिश्चित करने के लिए अनके उपायों को कार्यान्वित किया गया है। पारदर्शी और जवाबदेह प्रक्रिया के जरिए

हमने इन अनर्जक आस्तियों की पहचान की है। शोधन अक्षमता और दिवालियापन संहिता ने समाधान-अनुकूल तंत्र को संस्थागत रूप दिया, जो अंतर्निहित व्यवसायों और नौकरियों को बरकरार रखते हुए अनर्जक ऋणों की वसूली में सहायता कर रहा है। *[हिन्दी]* पहले सिर्फ छोटे बिजनेसमेन पर ऋण वापस करने का दबाव रहता था लेकिन अब बड़े बिजनेसमेन के भी ऋण की चिंता होती है, केवल बैंकों को नहीं होती। *[अनुवाद]* परन्तु आज चूककर्ता प्रबंधन तंत्र या तो इसका भुगतान कर रहे हैं या अपना करोबार छोड़ रहे हैं। बैंकरों और ऋणदाताओं के पक्ष में तकरीबन 3 लाख करोड़ रुपये की राशि पहले ही वसूली जा चुकी है। सरकारी क्षेत्र के बैंकों की वित्तीय स्थिति बहाल करने के लिए 2.6 लाख करोड़ रुपये का निवेश करके पुन: पूंजीकरण किया गया है। बैंकों का एकीकरण भी किया गया है ताकि किफायत बरतने की विधियों, पूंजी तक बेहतर पहुंच का लाभ उठाया जा सके तथा अपेक्षाकृत बड़े भौगोलिक क्षेत्रों तक पहुंचा जा सके। *[हिन्दी]* कल हम सभी को खुशखबरी मिली कि इन सब अथक प्रयासों के कारण तीन बैंकों-बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और ओरिएण्टल बैंक ऑफ कॉमर्स से पीसीए के रेस्ट्रिक्शन हटा लिये गये हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि जिस गति से बैंकिंग में सुधार हुए हैं, बाकी बैंक्स भी बहुत तेज गति से इस व्यवस्था से निकलकर एक बार तेजी से बैंकिग व्यवस्था में आ जाएंगे।

[अनुवाद]

भ्रष्टाचार के विरुद्ध कदम

हमने पारदर्शिता के नए युग की शुरूआत की है। हमने भ्रष्टाचार मुक्त सरकार चलाई।...*(व्यवधान)* स्थावर संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 (आरईआरए) और बेनामी संव्यवहार (निषेध) अधिनियम, 1988 स्थावर संपदा क्षेत्र में पादर्शिता लाने में सहयता कर रहे हैं। भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018 उन आर्थिक अपराधियों की परिसंपत्तियों को जब्त करने और उनका निबटान करने में सहायता करेगा, जो देश के न्यायाधिकार से बच निकलते हैं। इसके अतिरिक्त, हमने कोयला और स्पेक्ट्रम सहित प्राकृतिक संसाधनों की पारदर्शी नीलामी की है। हमने जो कहा सो किया।

स्वच्छता

वर्ष 2019 में महात्मा गांधी की 150वीं जयंती की श्रद्धांजलि के रूप में सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन की मदद से विश्व का सबसे बड़ा व्यवहार परिवर्तन आंदोलन आरंभ किया है। भारत ने लगभग 98 प्रतिशत ग्रामीण स्वच्छता कवरेज हासिल की है और लगभग 5.45 लाख गांवों को खुले में शौच मुक्त घोषित किया गया है। यह सम्पूर्ण कार्यक्रम है और लोगों की सोच बदलने में सफल रहा है। *[हिन्दी]* व्यापक जन भागीदारी से लोगों ने इसे एक सरकारी योजना से राष्ट्रीय आंदोलन बना दिया है। 'स्वच्छ भारत अभियान' की सफलता के लिए मैं देश की 130 करोड़ जनता की तहेदिल से धन्यवाद करता हूं। जिन्होंने इसे पूरे हृदय से अपनाया।...*(व्यवधान)*

गरीब और पिछड़ा वर्ग

देश के संसाधनों पर पहला अधिकार गरीबों का है। सरकार ने मौजूदा आरक्षण, जो कि एससी/एसटी/अन्य पिछड़े वर्ग के लिए है, को पूर्ण रूप से बरकरार रखते हुए, गरीबों के लिए भी अब शैक्षणिक संस्थानों में और सरकारी नौकरियों में 10% का आरक्षण सुनिश्चित किया है।...*(व्यवधान)* इन संस्थानों में औसतन 25% अतिरिक्त सीट्स, (लगभग 2 लाख) उपलब्ध कराई जाएंगी...*(व्यवधान)* जिससे किसी भी वर्ग के लिए वर्तमान में उपलब्ध/आरक्षित सीट्स में कभी कोई कमी न आए।...*(व्यवधान)*

गरीबों और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ते दाम पर अनाज उपलब्ध कराने के लिए वर्ष 2018-19 में लगभग 1,70,000 करोड़ रुपये का व्यय किया गया, जो वर्ष 2013-14 के खर्चे के मुकाबले लगभग दोगुना है। वर्ष 2013-14 में मात्र 92,000 करोड़ रुपये लगभग खर्च हुए थे। हमने यह सुनिश्चित किया कि अनाज सबको मिले और किसी को भूखे पेट नहीं सोना पड़े। मनरेगा के लिए ब.अ. 2019-20 में 60,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया जा रहा है। जरूरत पड़ने पर और भी धनराशि उपलब्ध करा दी जाएगी।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

हमने देश में शहरों और गांवों के बीच की खाई को पाटने के लिए काम किया है। इस गरिमामय सदन में माननीय सदस्य, जिनमें से अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों से हैं, इस बात पर सहमत होंगे कि विगत में अनेकों बार ग्रामीण जनता के लिए खोखले वादे किए गए हैं। हमने पिछले पांच वर्षों के दौरान, उनके जीवन की गुणवत्ता चंहु ओर से सुधारने के लिए लक्षित व्यय किए हैं। हमारा उद्देश्य है कि गांव की आत्मा बरकरार रखते हुए वहां भी शहरों जैसी सुविधाएं उपलब्ध हों।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत, ग्रामीण सड़कों के निर्माण में तीन गुना वृद्धि हुई है। कुल मंजूरशुदा 1.58 लाख बस्तियों में से 1.43 लाख बस्तियों को पक्की सड़कों से पहले ही जोड़ा जा चुका है और बहुत जल्द ही शेष कार्य पूरा करने का कार्य चल रहा है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए ब.अ. 2019-20 में 19,000 करोड़ रुपये का आबंटन किया जा रहा है जबकि सं.अ. 2018-19 में इसके लिए 15,500 करोड़ का आबंटन दिया गया था। *[हिन्दी]* जहां पहले एक गरीब बच्चा टूटी पगडंडी पर चलकर स्कूल पहुंचता था, आज उसके गांव तक बस पहुंच सकती है।...*(व्यवधान)* वर्ष 2014-18 की अवधि के दौरान, कुल 1.53 करोड़ घर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हमने इस देश में मात्र पांच वर्ष में बनाए, जो पहले के मुकाबले पांच गुना है।...*(व्यवधान)*

वर्ष 2014 तक देश में लगभग 2.5 करोड़ परिवार बिना बिजली के थे।...*(व्यवधान)* अट्ठारहवीं सदी में जीने के लिए मजबूर थे।...*(व्यवधान)* सौभाग्य योजना से हमने लगभग हर घर को बिजली का मुफ्त कनेक्शन उपलब्ध कराया।...*(व्यवधान)* मार्च, 2019 तक सभी इच्छुक परिवारों को बिजली का कनेक्शन मिल जाएगा।...*(व्यवधान)* हमने मिशन मोड में निजी क्षेत्र सम्मिलित करते हुए 143 करोड़ एल.ई.डी. बल्ब्स उपलब्ध कराए हैं।...*(व्यवधान)* इससे गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को बिजली के बिलों में सालाना लगभग 50 हजार करोड़ रुपये की बचत हो जाएगी।

अध्यक्ष महोदया, पिछले पांच वर्षों में स्वास्थ्य देखभाल में बहुत अधिक प्रगति हुई है। पहले एक गरीब व्यक्ति इस धर्म संकट में होता था कि वह रोजमर्रा की जरूरतें पूरी कर या परिवार के किसी बीमार सदस्य की जिंदगी बचाए। माननीय प्रधानमंत्री जी को इस बात की बहुत पीड़ा थी। हमने विश्व का सबसे बड़ा स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम 'आयुष्मान भारत' शुरू किया है जो लगभग 50 करोड़ लोगों को चिकित्सा उपचार मुहैया कराएगा। अब तक दस लाख बीमार लोगों का इलाज इसके तहत इतने कम समय में हो चुका है और लगभग तीन हजार करोड़ रुपये ऐसे गरीब मध्यम वर्गीय परिवारों के बचे, क्योंकि दस लाख लोगों को मुफ्त में इलाज मिला। लाखों गरीब मध्यम वर्गीयों को इस बात का भी बड़ा लाभ हो रहा है कि जो कीमतें कम हुई दवाइयों में, कार्डिएक स्टेंट में, नी-इम्प्लाण्ट्स में और आज दवाइयां प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र में बहुत ही सस्ती दरों पर मिल जाती हैं। इससे लाखों-करोड़ों लोगों को लाभ मिल रहा है।

[अनुवाद]

इस समय देश में 21 एम्स कार्यरत हैं या स्थापित किए जा रहे हैं। इन 21 एम्स में से 14 एम्स की घोषणा 2014 से की गई है। *[हिन्दी]* सरकार आने के बाद हमने दो-तिहाई शुरू किया। आज मुझे खुशी है आप सबकों बताते हुए कि जो 22वां एम्स है, अब मेरे राज्य में, जहां से मेरा परिवार आता है, हरियाणा में 22वां एम्स लगने जा रहा है। शायद वहां की जनता ने जिस प्रकार से सरकार का आंकलन करते हुए कल जीत दी, इस बात का भी प्रमाण है कि अच्छी सरकार कैसे दी जाती है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

महत्वाकांक्षी जिला कार्यक्रम देश के 115 अति पिछड़े जिलों में लक्षित विकास कर रहा है। इस कार्यक्रम से उल्लेखनीय परिणाम हासिल किए गए हैं और सभी संकेतकों- स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा, कृषि और जल संसाधन, वित्तीय समावेशन और कौशल विकास के कार्यनिष्पादन में सुधार आया है।...*(व्यवधान)* *[हिन्दी]* ऐस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम में आज कॉम्पटीशन के द्वारा ये सब डिस्ट्रिक्ट्स तेज गति से विकास से जुड़ रहे हैं। सभी सरकारी योजनाएं वहां पहुंच रही हैं।...*(व्यवधान)*

किसानों की उन्नति एवं आय वृद्धि

मैडम स्पीकर, हमारे मेहनती किसानों को फसल का पूरा मूल्य नहीं मिलता था।...*(व्यवधान)* हमारी सरकार ने किसानों की आय दोगुनी करने हेतु इतिहास में पहली बार सभी 22 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य, एम.एस.पी. लागत से कम से कम 50 प्रतिशत अधिक निर्धारित किया है।

[अनुवाद]

कृषि हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था का प्रमुख चालक बनी हुई है। हमारे परिश्रमी किसानों ने विगत साढ़े चार वर्षों में सरकार की किसान समर्थक नीतियों से सहायता पाकर रिकार्ड मात्रा में कृषि वस्तुओं का उत्पादन किया है। लेकिन अंतरराष्ट्रीय बाजार में कृषि संबंधी वस्तुओं की गिरती कीमतें और 2017-18 से खाद्य भिन्न क्षेत्र के सापेक्ष भारत में खाद्य मुद्रास्फीति में गिरावट की वजह से, कृषि से आमदनी कम हो गई है। बारंबार विभाजन के कारण छोटी और विखंडित जोतों के कारण भी कृषक परिवार की आय में गिरावट आई है। इसलिए, देश में निर्धन भू-स्वामी किसान परिवारों को संरचित

आय सहायता मुहैया कराने की आवश्यकता है जैसे बीज, उर्वरक, उपकरण, श्रम आदि इन्पुट खरीदने में और अन्य आवश्यकताएं पूरी करने में मदद करना। ऐसी सहायता से उन्हें ऋण ग्रस्त होने तथा साहूकारों के चंगुल में फंसने से बचाया जा सकता है।

[हिन्दी]

छोटे और सीमांत किसानों को निश्चित आय सहायता मुहैया कराने के लिए, जो छोटे और सीमांत किसान हैं, एक प्रकार से उनकी आय और तेज गति से बढ़े और एक समर्थन देने हुए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, पी.एम. किसान नाम की एक ऐतिहासिक योजना, इस सरकार ने मंजूर की है।

पी.एम. किसान योजना के तहत वल्नरेबल किसान, जो छोटी जमीन रखते हैं, जिनकी दो हेक्टेयर तक की जमीन है, उन सभी को डायरेक्ट इनकम सपोर्ट 6000 रुपये प्रतिवर्ष के हिसाब से देने का निर्णय सरकार ने किया है। *[अनुवाद]* यह आय सहायता प्रत्येक 2000 रुपये की तीन बराबर किस्तों में लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में सीधे अंतरित की जाएगी। इस कार्यक्रम का निधि पोषण भारत सरकार द्वारा किया जाएगा। *[हिन्दी]* करीब 12 करोड़ किसान परिवारों को इससे सीधा लाभ होगा। यह प्रोग्राम 1 दिसम्बर, 2018 से ही लागू किया जाएगा। दो हजार रुपये की पहली किश्त जल्द ही सूचियां बनाकर उनके खाते में भेज दी जाएगी। इस कार्यक्रम का अनुमानित खर्च 75 हजार करोड़ रुपये सालाना सरकार वहन करेगी।

[अनुवाद]

'पीएम-किसान' कार्यक्रम से अति निर्धन किसान परिवारों को न केवल निश्चित पूरक आय प्रदान की जाएगी अपितु विशेषकर कटाई के मौसम से पहले उनकी आकस्मिक आवश्यकताओं को भी पूरा किया जाएगा। 'पीएम-किसान' किसानों के लिए आय अर्जित करने और सम्मानजनक जीवन जीने के लिए मार्ग प्रशस्त करेगा।

मैं वित्त वर्ष 2019-20 के लिए 'पीएम-किसान' हेतु 75,000 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव रखता हूँ। मैं वित्त वर्ष 2018-19 के संशोधित अनुमान में 20,000 करोड़ रुपये भी देता हूँ।

[हिन्दी]

पिछले पांच वर्षों में किसानों को सस्ते ऋण उपलब्ध कराने के लिए इंटरेस्ट सबवेंशन की राशि को दो गुना कर दिया गया है। किसानों का फसली कर्ज वर्ष 2018-19 में बढ़कर 11 लाख 68 हजार करोड़ रुपये हो गया है। सोइल हेल्थ कार्ड, उत्तम क्वालिटी बीज, सिंचाई योजना और नीम कोटेड यूनिया द्वारा खाद की कमी को दूर करने के माध्यम से किसानों की कठिनाई को दूर करने का प्रभावी प्रयास इस सरकार ने पांच वर्षों में किया है।

[अनुवाद]

पशुपालन और मात्स्यिकी क्षेत्र को भी काफी सहायता की जरूरत है। मैंने इसी मौजूदा साल में 'राष्ट्रीय गोकुल मिशन' के लिए आवंटन को बढ़ाकर 750 करोड़ रुपये कर दिया है। गऊ संसाधनों के आनुवंशिक उन्नयन को स्थायी रूप से बढ़ाने और गायों के उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाने के लिए मैं 'राष्ट्रीय कामधेनु आयोग' बनाने की घोषणा करता हूं। यह आयोग गायों के लिए कानूनों को प्रभावी ढंग से लागू करने और कल्याणकारी स्कीमों के कार्य को भी देखेगा। गोमाता के सम्मान में और गोमाता के लिए यह सरकार कभी पीछे नहीं हटेगी, जो जरूरत पड़ेगी, उसका प्रावधान करेगी।

भारत विश्व में दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है जिसकी वैश्विक उत्पादन में 6.3 प्रतिशत की हिस्सेदारी है। हालिया वर्षों में भारत ने 7 प्रतिशत से अधिक की औसत वार्षिक वृद्धि दर दर्ज की है। यह सेक्टर प्राथमिक स्तर पर लगभग 1.45 करोड़ लोगों को आजीविका प्रदान करता है। इस सेक्टर के विकास पर निरंतर पूरा ध्यान देने के लिए, सरकार ने अलग से **मत्स्य पालन विभाग** बनाने का निर्णय लिया है।...*(व्यवधान)*

पिछले बजट में, हमारी सरकार ने पशुपालन और मछलीपालन में लगे किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम (केसीसी) की सुविधा देने की घोषणा की थी।...*(व्यवधान)* मैं, अब पशुपालन और मछली पालन के कार्यकलापों में कार्यरत उन किसानों को 2 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी के लाभ का प्रस्ताव करता हूं दो परसेंट ब्याज की छूट इस क्षेत्र को भी दी जाती है, जो किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ऋण प्राप्त करते हैं। यही नहीं, यदि वे अपने ऋण को समय पर चुकाते हैं तो उन्हें 3 प्रतिशत अरिक्त ब्याज सब्सिडी भी मिलेगी। एक प्रकार से इनको किसानों के साथ सम्मान के साथ एक ही दर्जा दिया जा रहा है।

सुलभ एवं रियायती ऋण सुनिश्चित करने तथा सभी किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड के दायरे में लाने के लिए,

हमारी सरकार ने एक सरलीकृत आवेदन फार्म लाकर व्यापक अभियान चलाने की पहल करने का निर्णय लिया है।...*(व्यवधान)*

जब प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, तब आमतौर पर किसान अपने फसल ऋणों को चुका नहीं पाते हैं। वर्तमान में, फसल ऋणों को ऐसे प्रभावित किसानों के लिए पुन: निर्धारित किया गया है और वे 2 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी का लाभ पुन: निर्धारित ऋण के पहले वर्ष के लिए ही प्राप्त कर पाते हैं।...*(व्यवधान)* हमारी सरकार ने अब निर्णय लिया है कि गंभीर प्राकृतिक आपदाओं, जहां राष्ट्रीय आपदा राहत निधि (एनडीआरएफ) द्वारा सहायता पहुंचाई गई है, से प्रभावित सभी किसानों को 2 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी और उनके ऋणों के पुनर्निर्धारण की संपूर्ण अवधि के लिए तत्काल भुगतान के प्रोत्साहन के रूप में 3 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज सब्सिडी का लाभ दिया जाएगा। *[हिन्दी]* एक वर्ष के बदले जो पूरा समय रीशेड्यूलमैंट का है, उस पूरे समय उनको 2%, और समय पर वापस नहीं देने पर 3%, यानी 5% ब्याज में उनको छूट मिलेगी।

मजदूर और कामगार की प्रतिष्ठा

मैडम स्पीकर, हमारी सरकार का यह दृढ़ विश्वास रहा है कि तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था का लाभ कामगारों और सरकारी सेवाओं में कार्यरत सभी लोगों को मिलना चाहिए। पिछले पांच वर्षों में भारत में औद्योगिक शांति का माहौल रहा है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

तीव्र गति से बढ़ती अर्थव्यवस्था और उसके औपचारीकरण ने रोजगार अवसरों को बढ़ाया है जैसा कि ईपीएफओ सदस्यता में दर्शाया गया है, जहां दो वर्षों में रोजगार अवसरों में लगभग 2 करोड़ की वृद्धि हुई है जो अर्थव्यवस्था और रोजगार के औपचारीकरण को प्रतिबिंबित करता है।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की रिपोर्ट पेश होने के बाद उसकी सिफारिशों को जल्द से जल्द पूरा किया गया। उनको कोई आंदोलन नहीं करना पड़ा, सरकार ने सातवें वेतन आयोग को तुरंत लागू किया। न्यू पेंशन स्कीम को और लिबरेलाइज किया गया है। कर्मचारियों के हिस्से को दस प्रतिशत रखते हुए हमने सरकार के योगदान को चार प्रतिशत बढ़ाकर 14 प्रतिशत कर दिया है। 14 प्रतिशत सरकारी योगदान होगा। श्रमिकों को दिए जाने वाले बोनस आकलन की अधिकतम सीमा को भी 3500 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर दोगुना 7000 रुपये किया गया है तथा वेतन की अधिकतम सीमा को 10,000 रुपये से बढ़ाकर 21,000 रुपये प्रति माह कर दिया है। जो लोग 21,000 रुपये प्रति माह कमाते हैं, उनको बोनस मिलेगा। दोगुना यानी 7000 रुपये तक का बोनस देने निर्णय सरकार ने लिया है। ग्रेच्युटी के भुगतान की सीमा को 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दिया है। पिछले पांच वर्षों के दौरान सभी श्रेणी के श्रमिकों के न्यूनतम वेतन में 42% की वृद्धि हुई, जो आज तक सर्वाधिक है।

इसी प्रकार से ईएसआई की एलिजिबिलिटी सीमा भी 15,000 रुपये से बढ़ा कर 21,000 रुपये प्रति माह कर दी गई है। प्रति श्रमिक के लिए न्यूनतम पेंशन भी अब 1000 रुपये है। सर्विस के दौरान किसी श्रमिक की मृत्यु होने की स्थिति में ईपीएफओ द्वारा राशि 2.5 लाख से बढ़ा कर 6 लाख रुपये सुनिश्चित की गई है। आंगनवाड़ी और आशा योजना के तहत सभी श्रेणियों के कर्मियों को, हमारी माताओं और बहनों के मानदेय में लगभग 50% की वृद्धि की गई है।

[अनुवाद]

भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का आधा हिस्सा असंगठित क्षेत्र के उन 42 करोड़ कामगारों के पसीने और अथक परिश्रम से बनता है जो रेहड़ी वाले, रिक्शा चालक, निर्माण कार्यों में लगे मजदूर, कूड़ा बीनने वाले, कृषि कामगार, बीड़ी बनाने वाले, हथकरघा कामगार, चमड़ा कामगार और इस तरह के अन्य कई सारे व्यवसाय करते हैं। घरेलू कामगार भी बड़ी संख्या में काम कर रहे हैं। हमें चाहिए कि उन्हें व्यापक सामाजिक सुरक्षा प्रदान करें, खासकर उनकी वृद्धावस्था के दौरान। इसलिए, 'आयुष्मान भारत' के अंतर्गत स्वास्थ्य सेवा और 'प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना' तथा 'प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना' के अंतर्गत प्रदान की गई जीवन और विकलांगता संबंधी बीमा कवरेज के अलावा हमारी सरकार असंगठित क्षेत्र के उन कामगारों के लिए **प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन** नामक वृहत पेंशन योजना आरंभ करने का प्रस्ताव करती है जिनकी मासिक आय 15,000 रुपये या उससे कम है। इस पेंशन योजना से अपनी कार्यशील आयु के दौरान एक छोटी सी राशि के मासिक अंशदान करने से उन्हें 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपये की सुनिश्चित मासिक

पेंशन मिलेगी। 29 वर्ष की आयु में इस पेंशन योजना से जुड़ने वाले असंगठित क्षेत्र के कामगार को केवल 100 रुपये प्रति माह का अंशदान 60 वर्ष की आयु तक करना होगा। 18 वर्ष की आयु में इस पेंशन योजना में शामिल होने वाले कामगार को मात्र 55 रुपये प्रतिमाह का अंशदान करना होगा। सरकार इतना ही पैसा, अपनी तरफ से उसमें जोड़ेगी। सरकार प्रत्येक माह कामगार के पेंशन खाते में बराबर की राशि जमा करेगी। *[हिन्दी]* हमारा अनुमान है कि कम से कम 10 करोड़ अनऑर्गनाइज्ड सैक्टर के कर्मचारी, लेबर, वर्कर आदि सबको 'प्रधान मंत्री श्रम योगी मान-धन योजना' का लाभ मिलेगा और अगले पांच साल में शायद वह विश्व की सबसे बड़ी पेंशन स्कीम के रूप में उभर जाएगी। इसके लिए भी इसी साल हमने स्कीम को लॉन्च कर दिया है और 500 करोड़ रुपये इस स्कीम में जरूरत पड़ने पर हम देने के लिए तैयार हैं और अधिक राशि लगेगी तो और अधिक राशि भी इसके लिए उपलब्ध करवाई जाएगी। जैसा कि मैंने कहा है, यह स्कीम चालू वर्ष से ही कार्यान्वित की जाएगी।

[अनुवाद]

हमारी सरकार देश के सबसे अधिक वंचित नागरिकों के कल्याण हेतु प्रतिबद्ध है। इसके लिए, विमुक्त, घुमंतु और अर्ध-घुमंतु समुदायों की स्थिति पर विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। जो विमुक्त हैं, घुमंतु हैं, अर्ध-घुमंतु समुदाय है, उनके लिए इस बार सरकार ने उसके ऊपर विशेष ध्यान दिया है। ये समुदाय मुख्यधारा से कटे हुए हैं और संख्या में कम हैं, इसलिए प्रायः पीछे छूट जाते हैं। घुमंतु और अर्ध-घुमंतु समुदाय अपनी आजीविका की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान में चले जाते हैं। रेणके आयोग और इदाते आयोग ने इनकी पहचान करने और इन्हें सूचीबद्ध करने में प्रशंसनीय कार्य किया है। जिन विमुक्त, घुमंतु और अर्ध-घुमंतु समुदायों समुदायों को अब तक औपचारिक रूप से वर्गीकृत नहीं किया गया है, उनकी पहचान का कार्य पूरा करने के लिए नीति आयोग के अंतर्गत एक समिति का गठन किया जाएगा। सरकार विमुक्त, घुमंतु और अर्ध-घुमंतु समुदायों के लिए कल्याणकारी और विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के प्रयोजन हेतु विशेष रूप से सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत एक कल्याण विकास बोर्ड भी स्थापित करेगी। यह बोर्ड पहुंच से दूर इन समुदायों के कल्याण हेतु विशेष कार्यनीतियों का निर्माण और क्रियान्वयन सुनिश्चित करेगा।

[हिन्दी]

यह वेल्फेयर डेवलपमेंट बोर्ड जो बनाया जा रहा है, यह एक प्रकार से इस वर्ग का सुचित विकास कैसे हो, उसकी चिंता करेगा और इन सभी योजनाओ को इम्प्लिमेंट करने में उन तक लाभ पहुँचाने का काम करेगा।...*(व्यवधान)*

महिला विकास से महिला प्रेरित विकास

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया, हमने अपने चुनाव घोषणा-पत्र में वादा किया था कि हम ग्रामीण भारत की महिलाओं को स्वच्छ ईंधन प्रदान करके इनके जीवन के स्तर में सुधार लाएंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक गृहिणी के स्वास्थ्य का ध्यान रखने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि उसे अपने परिवार के लिए खाना बनाते समय आंसू न बहाने पड़ें, सरकार ने उज्जवला योजना तहत 8 करोड़ एलपीजी कनेक्शन मुफ्त बांटने का कार्यक्रम शुरू किया है। *[हिन्दी]* इसके अंतर्गत अभी तक 6 करोड़ मुफ्त कुकिंग गैस कनेक्शन्स दिए जा चुके हैं। अगले वर्ष तक पूरे आठ करोड़ हो जाएंगे और देश में हर परिवार को अच्छी कुकिंग की सुविधा उपलब्ध कराने का माननीय प्रधानमंत्री जी का जो दृढ़ निश्चय था, उसको हम पूरे तरीके से लागू करेंगे।...*(व्यवधान)* *[अनुवाद]* उज्जवला सरकार के कार्यक्रम की एक महत्वपूर्ण सफल गाथा है जिसे एक जिम्मेदार और करुणामय नेतृत्व के अधीन साहसिक किंतु व्यावहारिक दृष्टिकोण से परिभाषित किया गया है।

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के 70% से अधिक लाभार्थी महिलाएं हैं जो अपने खुद के व्यवसाय शुरू करने के लिए किफायती और बिना कोलेटरल के ऋण प्राप्त कर रही हैं। अन्य कई उपायों में, गर्भवती महिलाओं के लिए 26 सप्ताह का मातृत्व अवकाश और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के माध्यम से वित्तीय सहायता का लाभ दिया गया है जिससे गर्भवती महिलाएं काम में सहभागी बनने में सक्षम होंगी।...*(व्यवधान)*

अपने सामर्थ्य को सिद्ध करने के लिए युवा वर्ग का सशक्तिकरण

भारत विश्व के सर्वाधिक युवा-राष्ट्र में से एक है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के माध्यम से एक करोड़ से अधिक युवाओं को अपनी आजीविका कमाने के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। हमने मुद्रा, स्टार्ट-अप-इंडिया और स्टैंड-अप इंडिया जैसी स्व-रोजगार स्कीमों के माध्यम से युवा शक्ति का दोहन किया है। मुद्रा योजना के तहत

15.56 करोड़ ऋण दिए गए हैं। जिनकी कुल राशि 7,23,000 करोड़ रुपये बैठती है। *[हिन्दी]* पूरी दुनिया में स्व-रोज़गार की कल्पना अब बदल रही है और रोज़गार की भी कल्पना बदल रही है। अब सिर्फ सरकारी नौकरियां और कारखाने में ही रोज़गार उत्पन्न नहीं होता है। जॉब सीकर आज जॉब क्रिएटर बन गया है।

[अनुवाद]

भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा स्टार्ट-अप हब बन गया है। हमारे युवाओं की कड़ी मेहनत और विचारों की नवीनता से हम सब गौरवान्वित हैं।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और संबंधित प्रौद्योगिकी के लाभ जनता तक पहुंचाने के लिए सरकार ने 'आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस' पर एक राष्ट्रीय कार्यक्रम की परिकल्पना की है। इसे उत्कृष्ता केंद्रों के साथ एक हब के रूप में राष्ट्रीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की स्थापना से उत्प्रेरणा मिलेगी। 9 प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों की पहचान की चुकी है। एक राष्ट्रीय आर्टिफिशियल पोर्टल भी शीघ्र विकसित किया जाएगा।

सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यमों और व्यापारियों का सशक्तिकरण

[हिन्दी]

सरकार ने करोड़ों को रोज़गार देने वाले एमएसएमई सेक्टर को सशक्त करने के लिए कई प्रभावी कदम उठाए हैं। हाल ही में सिर्फ 59 मिनट्स में 1 करोड़ रुपये तक के ऋण की योजना शुरू की गई है। जीएसटी रजिस्टर्ड एसएमई ईकाइयों को 1 करोड़ रुपये के इंक्रीमेंटल लोन पर अब दो परसेंट ब्याज की छूट मिलेगी। सरकारी उपक्रमों में एसएमई से सार्सिंग की आवश्यकता को बढ़ा कर 25% कर दिया गया है। इसके लिए, कम से कम 3 प्रतिशत सामग्री महिला स्वामित्व वाले लघु और मध्यम उपक्रमों से प्राप्त की जाएगी।

[अनुवाद]

हमारी सरकार ने दो साल पहले गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस की स्थापना की थी। इसके जरिए सरकारी खरीद की प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी, सबको साथ लेकर चलने वाली और दक्ष होकर रुपान्तरित हो गई है। एमएसएमई भी अपने उत्पाद जीईएम के माध्यम बेच सकते हैं। जीईएम के माध्यम से, 17,500 करोड़ रुपये से अधिक का लेन-देन हो चुका है, जिससे औसतन 25-28% की बचत हुई है। जीईएम प्लेटफॉर्म की सेवाओं को अब केंद्र सरकार के सभी उद्यमों तक बढ़ाया जा रहा है।

हमने घरेलू व्यापार और सेवाओं को सहायता देने पर विशेष ध्यान दिया है। सरकार ने हाल ही में औद्योगिक नीति और संवर्द्धन विभाग को "खुदरा व्यापार सहित आंतरिक व्यापार का संवर्धन और व्यापारियों एवं उनके कर्मचारियों का कल्याण" नामक विषय सौंपा है। अब विभाग का नाम 'उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग' हो जाएगा।

रक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा का सुदृढ़ीकरण

अध्यक्ष महोदया, हमारे सैनिक बहुत ही कठिन परिस्थितियों में हमारी सीमाओं की रक्षा करते हैं। हमारा गर्व और सम्मान हमारे सैनिक हैं। हमने भी उनके सम्मान का ख्याल रखा। अपने चुनावी घोषणा पत्र में, हमने 'वन रैंक वन पेंशन' को लागू करने का वचन दिया था। पिछले 40 सालों से रूके हुए इस कार्य को अब हमने पूरा किया है। पिछली सरकारों ने तीन बजटों में इसकी घोषणा की थी परंतु उन्होंने वर्ष 2014-15 के अंतरिम बजट में मात्र 500 करोड़ रुपये मंजूर किए थे; इसके विपरीत हमने इस स्कीम को सही अर्थ में लागू करके 35,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि बांटी है। 35,000 करोड़ रुपये इस सरकार ने पिछले वर्षों में हमारे जवानों के लिए दिए हैं 'वन रैंक वन पेंशन' के तहत। सरकार ने रक्षा सेवा के सभी कर्मिकों को मिलीटरी सर्विस पे (एमएसपी) और अधिक जोखिम वाली ड्यूटी पर तैनात नौ सैनिकों और वायु सैनिकों को दिए जाने वाले विशेष भत्तों में पर्याप्त बढ़ोतरी की भी घोषणा की थी।

[हिन्दी]

मेडम स्पीकर, यह हम सबके लिए खुशी की बात है कि इस वर्ष पहली बार हमारा डिफेंस बजट 3,00,000 करोड़ रुपये से अधिक बढ़ जाएगा, जिसके लिए 2019-20 में प्रावधान किया गया है।...*(व्यवधान)* हमारी सीमाओं की रक्षा करने और उच्च कोटि की तैयारी बनाए रखने के लिए, यदि आवश्यक हुआ तो रक्षा बजट में और अधिक बढ़ोतरी की जाएगी।

[अनुवाद]

विदेशों में रहने वाले भारतीयों को समर्थन

आज, भारतीय मूल के सभी व्यक्ति इस बात को लेकर सुरक्षित महसूस करते हैं कि उनकी मातृभूमि भारत उनकी शुभचिंतक है और जरूरत के समय उनकी सहायता की जाएगी। भारत के बदलते स्वरुप के कारण दुनिया भर में भारतीयों और भारतीय मूल के व्यक्ति को गर्व और सम्मान की अनुभूति होती है। हमने भारत के साथ इनके संपर्क को मजबूत

बनाने, भारत में इनके निवेश को सुगम बनाने और इनकी यात्रा को सरल-सुखद बनाने के लिए अनेक उपाय किए हैं।

अवसंरचना का विकास

अवसंरचना किसी भी देश के विकास और अच्छे जीवन-स्तर की रीढ़ है। चाहे राजमार्ग हों या रेलवे या एयरवे या डिजिवे क्यों न हों, हमने देश की कायापलट के लिए उत्तरोत्तर प्रगति का हर संभव प्रयास किया है।

[हिन्दी]

आज एक सामान्य नागरिक भी 'उड़ान' योजना के कारण हवाई जहाज में सफर कर पा रहा है। अब 100 से अधिक एयरपोर्ट हो गए हैं। सिक्किम में पेक्योंग एयरपोर्ट खुलने के बाद 100 से अधिक ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स इस देश में हो गए हैं। डोमेस्टिक पैसेंजर ट्रैफिक पिछले पांच वर्षों में दुगुना हो गया है।...*(व्यवधान)* जब इतनी तेज गति से विकास होगा तो स्वाभाविक रूप से नौकरियां भी आएंगी।...*(व्यवधान)* एविएशन सेक्टर में बड़े रूप में युवाओं को नौकरियों का साधन मिला है।...*(व्यवधान) [अनुवाद]* आज, प्रति दिन 27 कि.मी. राजमार्ग के निर्माण के चलते भारत विश्व में सबसे तेज राजमार्ग विकसित करने वाला देश बन गया है।

दिल्ली के आस-पास पूर्वी पेरिफेरल राजमार्ग अथवा असम और अरुणाचल प्रदेश में बोगीबील रेल-सह-सड़क पुल जैसी दशकों तक रूकी हुई परियोजनाएं पूरी की गई हैं। देश के तटीय क्षेत्र में सागर माला के फ्लैगशिप कार्यक्रम से पत्तनों का विकास होगा जिससे आयातों और निर्यातों का प्रबंधन करने में तेजी आएगी। पहली बार, कंटेनर माल की आवाजाही कोलकाता से वाराणसी तक अंतर्देशीय जलमार्गों पर शुरू हो चुकी है। हमारी सरकार ब्रह्मपुत्र नदी की नौवहन क्षमता में सुधार करके पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी कंटेनर कार्गों की आवाजाही की शुरूआत करेगी। भारतीय रेल के इतिहास में यह वर्ष सर्वाधिक सुरक्षित वर्ष रहा है।.,..*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

प्रो. सौगत राय (दमदम) : मैडम, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में जो बातें थीं, वही बोल रहे हैं।...*(व्यवधान)*

श्री पीयूष गोयल : आप सब गौर करें। ब्राड गेज लाइनों पर सभी मानवरहित लेवल क्रॉसिंग को समाप्त कर दिया गया है। आज पूरे देश में एक भी अन्मैन्ड लेवल क्रॉसिंग ब्रॉड गेज नेटवर्क पर बचा नहीं है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

पहली देश में ही विकसित और विनिर्मित सेमी हाई स्पीड "वंदे भारत एक्सप्रेस" को चलाने से भारतीय यात्रियों को गति, सेवा और सुरक्षा का विश्व स्तरीय अनुभव प्राप्त होगा। हमारे इंजीनियरों द्वारा पूर्णत: विकसित प्रौद्योगिकी में यह बड़ी छलांग मेक इन इंडिया को गति प्रदान करेगी और रोजगार सृजित करेगी। रेलवे के लिए बजट से वर्ष 2019-20 (ब.अ.) में 64,587 करोड़ रुपये की पूंजीगत सहायता का प्रस्ताव है। रेलवे का समग्र पूंजी व्यय कार्यक्रम 1,58,658 करोड़ रुपये है। प्रचालन अनुपात वर्ष 2017-18 के 98.4 प्रतिशत से सुधरकर वर्ष 2018-19 (सं.अ.) में 96.2 प्रतिशत तथा आगे और अधिक बेहतर होकर वर्ष 2019-20 (ब.अ.) में 95 प्रतिशत होने की संभावना है।

भारत ने जलवायु परिवर्तन की समस्या के समाधान के लिए किए जा रहे वैश्विक प्रयासों का नेतृत्व किया है। नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने की हमारी प्रतिबद्धता अंतरराष्ट्रीय और गठबंधन स्थापित करने में प्रतिबिंबित होती है, जो पहला संधि आधारित अंतरराष्ट्रीय अंतर-सरकारी संगठन है जिसका मुख्यालय भारत में है। भारत की संस्थापित सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता पिछले पांच वर्षों में दस गुना से अधिक हो गई है। दस गुना वृद्धि हुई है सौर ऊर्जा में देश में पिछले पांच वर्षों में। यह क्षेत्र अब नए जमाने के लाखों रोजगार पैदा कर रहा है। कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के आयात पर भारत की निर्भरता हमारी सरकार के लिए बड़ी चिंता का कारण रहा है। यद्यपि हमने बायो ईंधन और वैकल्पिक प्रौद्योगिकियों के माध्यम से मांग वृद्धि को कम करने के लिए कई सारे उपाय किए हैं, फिर भी हायड्रोकार्बन उत्पादन को बढ़ाने के लिए तत्काल कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता है ताकि आयात को घटाया जा सके। हमारी सरकार द्वारा गठित उच्च स्तरीय अंतर-मंत्रालयी समिति ने विशिष्ट सिफारिशें की हैं जिनमें श्रेणी II और III बेसिन के लिए अन्वेषण की बोली प्रणाली को राजस्व साझेदारी के बजाय उच्च अन्वेषण कार्यक्रम में परिवर्तित करना शामिल है। सरकार शीघ्र ही इन सिफारिशों पर कार्रवाई करेगी।

पूर्वोत्तर की जनता को भी अवसंरचना विकास के लाभ मिले हैं। अरुणाचल प्रदेश हाल ही में हवाई मार्ग के मानचित्र पर दर्ज हुआ है तथा मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम पहली बार पहली बार भारत के रेल मानचित्र पर उभरे हैं।

2018-19 (ब.अ.) की तुलना में 2019-20 (ब.अ.) में पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लिए आवंटन को 21 प्रतिशत बढ़ाकर 58,166 करोड़ रुपये किए जाने का प्रस्ताव किया जा रहा है।

डिजिटल इंडिया क्रांति

अध्यक्ष महोदया, भारत अब दुनिया में मोबाइल डेटा का सर्वाधिक खपत करने वाले देश बन गया है। मोबाइल डेटा की मासिक खपत में पिछले पांच वर्षों में 50 गुना बढ़ोत्तरी हुई है पिछले पांच वर्षों में मोबाइल डेटा पचास गुना बढ़ा है।

भारत में अब कॉल और डेटा की कीमत संभवत: विश्व में सबसे कम हैं। आज, मेक इन इंडिया के अंतर्गत मोबाइल और मोबाइल पुर्जों की निर्माता कंपनियों की संख्या 2 से बढ़कर 268 से अधिक हो गई है जो रोजगार के अनेक अवसर प्रदान कर रही हैं। 3 लाख से अधिक सामान्य सेवा केंद्र लगभग 12 लाख लोगों को रोजगार प्रदान कराने के साथ-साथ नागरिकों को अनेक डिजीटल सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। सामान्य सेवा केंद्र गांवों में कनेक्टिविटी के साथ-साथ अपनी सेवाओं का विस्तार कर रहे हैं और डिजीटल ढांचा भी तैयार कर रहे हैं, जिससे हमारे गांव डिजीटल गांवों में बदल रहे हैं। हमारी सरकार की योजना है कि अगले पांच वर्षों में हम एक लाख डिजिटल विलेजेज बनाने जाएंगे।

जन-धन-आधार-मोबाइल (जेएएम) तथा प्रत्यक्ष लाभ अंतरण ने दूरगामी परिवर्तन किए हैं। बैंकों का राष्ट्रीयकरण 50 वर्ष पहले किया गया था लेकिन देश का अधिकांश हिस्सा औपचारिक बैंकिंग प्रणाली के अभाव में आर्थिक मुख्यधारा से अभी तक अछूता था। पिछले पांच वर्षों, में लगभग 34 करोड़ जन धन बैंक खाते खोले गए हैं। आधार को अब सार्वभौम तरीके से क्रियान्वित किया जा रहा है। इससे बिचौलियों को समाप्त करके गरीब और मध्यम वर्ग को सीधे उनके बैंक खातों में धन जमा करके सरकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करने में मदद मिली है। बिचौलियों को हमने समाप्त किया है।

मनोरंजन

मनोरंजन उद्योग एक प्रमुख रोजगार सृजक क्षेत्र है। मनोरंजन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए, फिल्मों की शूटिंग आसान करने के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सुविधा जो केवल विदेशी फिल्म निर्माताओं के लिए उपलब्ध थी, अब भारतीय फिल्म निर्माताओं के लिए भी उपलब्ध कराई जा रही है। विनियामक प्रावधान विशेषकर फिल्मों को मंजूरी देने के लिए स्व-घोषणा पर अधिक निर्भर रहेंगे। हम पाइरेसी की समस्या को नियंत्रित करने के लिए सिनेमाटोग्राफ अधिनियम में एंटी कैमकॉर्डिंग प्रावधानों को भी शामिल करेंगे। *[हिन्दी]* हम सब को बॉलीवुड की पिक्चरों का शौक रहता है और पिक्चरें भी देखते हैं। यह इतने बड़े रूप में रोज़गार का अवसर प्रदान करता है। भारत के अन्य-अन्य क्षेत्रों में फिल्म बनाने का काम बहुत बड़ी गति से चल रहा है। उन सब को रोज़गार मिलेगा, चाहे तेलुगू में फिल्म बने, चाहे मलयालम में बने।...*(व्यवधान)*

अभी हाल में शायद आप सब ने देखा होगा, मुझे तो 'उरी' फिल्म देखने का सौभाग्य मिला। जो मजा आया और उस हॉल के अंदर जो जोश था...*(व्यवधान)*

करदाताओं के लाभार्थ प्रत्यक्ष कर प्रणाली का सरलीकरण

[अनुवाद]

अध्यक्ष, महोदया, हमारे प्रत्यक्ष करदाताओं का जीवन आसान बनाने के लिए, हमने आम आदमी और मध्यम वर्ग के लिए कर दरों में कटौती की है और कर विभाग के साथ संपर्क को कहीं अधिक सरल और मुख्यत: चेराविहीन बनाया है। इसके कारण कर संग्रहण वर्ष 2013-14 के 6.38 लाख करोड़ रुपये से काफी बढ़कर इस वर्ष लगभग 12 लाख करोड़ रुपये हो गया है।...*(व्यवधान)* दाखिल की गई कर विवरणियों की संख्या 3.79 करोड़ से बढ़कर 6.85 करोड़ हो गई है जो कर आधार में 80 प्रतिशत वृद्धि को दर्शाता है। मैं भारत के ईमानदार करदाताओं को हमारी सरकार में विश्वास व्यक्त करने के लिए धन्यवाद देता हूं। मैं उन्हें आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमने उनके अंशदान का उपयोग गरीबों की सेवा करने और बेहतर अवसंरचना विकसित करने के लिए किया है।

आयकर विभाग अब आनलाइन कार्य करता है। विवरणियों, निर्धारणों, धनवापसी तथा प्रश्नों पर आनलाइन कार्रवाई की जाती है। पिछले वर्ष, आयकर विवरणियों में से 99.54 प्रतिशत विवरणियां, *[हिन्दी]* चाहे इनडिविजुअल का हो, व्यापारी हो, उद्योग का हो। सभी रिटर्न्स का 99.54% रिटर्न्स को ऐक्सेप्ट कर लिया गया- जैसे फाइल हुए, बिना कोई स्क्रूटनी तथा बिना कोई अधिक कार्रवाई किए। *[अनुवाद]* हमारी सरकार ने अब आय कर विभाग को अधिक निर्धारिती हितैषी बनाने के लिए आमूल परिवर्तनकारी प्रौद्योगिकी गहन परियोजना को मंजूरी दी है।

मध्यह्न 12:00 बजे

सभी विवरणियों को 24 घंटे के भीतर प्रोसेस किया जाएगा और साथ-साथ धन वापसी जारी की जाएगी। अगले दो वर्षों के दौरान हम जांच-पड़ताल के लिए चुनी गई सभी विवरणियों का सत्यापन और मूल्यांकन अज्ञात बैक आफिस के माध्यम से इलेक्ट्रानिक ढंग से कर सकेंगे जिसका संचालन कर विशेषज्ञ और कर्मचारी करेंगे जिसमें करदाता कर अधिकारियों के साथ किसी प्रकार का व्यक्तिगत संपर्क नहीं कर सकेंगे।

[हिन्दी]

आगे चल कर स्क्रूटनी के लिए भी आपको दफ्तर नहीं जाना पड़ेगा। किसकी स्क्रूटनी हो रही है और कौन अफसर है, इन दोनों को एक-दूसरे का परिचय नहीं मालूम पड़ेगा, वह कंप्यूटर के थ्रू एनोनिमाइज्ड हो जाएगा।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

वर्ष 2014 में जबसे हमारी सरकार ने सत्ता संभाली है, तब से ही हमारी प्राथमिकता मध्यमवर्ग पर कर के भारत को कम करने की रही है। हमने बुनियादी छूट की सीमा 2 लाख रुपये से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये कर दी और कर में छूट दी ताकि 3 लाख रुपये तक आय वाले लोगों को कोई कर न देना पड़े। हमने 2.5 लाख रुपये से 5 लाख रुपये तक की कर स्लैब के लिए कर की दर में कमी कर 10% से 5% भी कर दिया और वेतनभोगी वर्ग के लिए 40,000 रुपये की मानक कटौती शुरू की। धारा 80ग के अंतर्गत बचत की कटौती को 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 1.5 रुपये कर दिया गया। जिस मकान में रह रहे हों, ऐसी गृह संपत्ति के लिए ब्याज की कटौती को 1.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 2 लाख रुपये कर दिया गया। *[हिन्दी]* इतने सारे प्रभावी कदम उठाए गए, जिससे हर वर्ष मध्यम वर्गीय और खास तौर पर जो वेतन पाते हैं, उन सब को कुछ न कुछ लाभ देने के प्रयत्न इस सरकार ने पिछले साढ़े चार साल में लगातार किए हैं।

[अनुवाद]

छोटे व्यापारियों और स्टार्ट अप के लिए विशेष लाभ और प्रोत्साहन भी दिए गए। अनुपालन की पूरी प्रक्रियाओं को सरल बनाया गया। व्यापार के पूर्वानुमानित कराधान के लिए प्रारंभिक सीमा 1 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2 करोड़ रुपये कर दी गई। आरंभिक सीमा 50 लाखे रुपये करके पहली बार पूर्वानुमान कराधान का लाभ छोटे पेशेवरों को दिया गया। कम नकदी वाली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए पूर्वानुमान लाभ दर 8% से घटाकर 6% कर दी गई है। *[हिन्दी]* 250 करोड़ करोड़ रुपये तक के टर्न ओवर की जो कंपनियां हैं, 99 प्रतिशत कंपनियां इसके अंतर्गत आ जाती हैं। इनका भी टैक्स रेट 30 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत सरकार ने पिछले वर्षों में कर दिया। हमने बिना किसी टर्न ओवर लिमिट के नई विनिर्माण कंपनियों पर भी यह 25 प्रतिशत की दर लागू की है। नये उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए बिना लिमिट 25 प्रतिशत ही सिर्फ टैक्स लेंगे।

उपभोक्ताओं और व्यापारियों के लाभ के लिए जीएसटी में सुधार

[अनुवाद]

माल और सेवा कर (जीएसटी) सुधार पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान लगभग एक दशक तक खिंचता रहा। हमारी सरकार ने जीएसटी का कार्यान्वयन किया जो निस्संदेह आजादी मिलने के बाद कराधान के संबंध में किया गया सबसे बड़ा सुधार है। केन्द्र और राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों द्वारा वसूले जाने वाले और कर पर प्रपाती प्रभाव डालने वाले सत्रह अलग-अलग करों को एक जीएसटी में मिला दिया गया। भारत एक साझा बाजार बन गया। जीएसटी के कारण कर के आधार में बढ़ोत्तरी हुई है, ज्यादा कर वसूली हुई हैं और व्यापार में सुगमता आई है। जीएसटी से रोजमर्रा के प्रचालनों और मूल्यांकनों के लिए कर-दाता और सरकार के बीच का सम्पर्क कम होगा। अब विवरणियां पूरी तरह आनलाइन भरी जाती हैं और ई-वे बिल सिस्टम की व्यवस्था की गई है। प्रवेश कर, चौकियां (पोस्ट) और ट्रकों की लाइन न होने से अन्तर्राज्यीय आवाजाही गति तेज, कार्यकुशल और बाधा रहित बनी है। सब इतिहास के पन्नों में चले गए। अब अलग-अलग राज्यों के बीच में आसानी से व्यापार हो सकता है।

जीएसटी से पहले के समय में अनेक वस्तुओं पर लगाया जाने वाले अधिक कर को युक्तिसंगत बनाया गया है और उपभोक्ताओं विशेषकर गरीबों और मध्यम वर्ग पर प्रभारित कर के भार में काफी कमी की गई है। *[हिन्दी]* आप सभी जानते हैं कि जीएसटी काउन्सिल में केन्द्र सरकार है, सभी राज्यों और यूनियन टेरिटरीज की सरकारें मिलकर जीएसटी काउन्सिल में सर्वसम्मति से निर्णय लेती हैं। जीएसटी काउन्सिल ने पुराने रेट को देखते हुए अलग-अलग रेट्स निर्धारित किए थे,

लगभग सभी रेट ऐसे निर्धारित करने की कोशिश की कि जो प्री-जीएसटी रेट्स से कम थे। *[अनुवाद]* तब से, दरों में लगातार कमी की गई है जिससे उपभोक्ताओं को प्रति वर्ष लगभग 80,000 करोड़ रुपये की राहत मिली है। गरीबों और मध्यम वर्ग लोगों द्वारा रोजमर्रा इस्तेमाल की जाने वाली अधिकाशं वस्तुएं अब 0% या 5% के कर-स्लैब में हैं। *[हिन्दी]* ...*(व्यवधान)* 'उरी' देखने के बाद कुछ तो सिनेमा हॉल्स के प्रति भी और सिनेमा देखने वाली सभी जनता के प्रति संवेदना की भावना स्वाभाविक रूप से आती है।...*(व्यवधान)* सिनेमा गोअर्स जिनके लिए अलग-अलग टैक्स रेट्स होते थे और कई राज्यों में पचास प्रतिशत से अधिक टैक्स लगता था। अब जो साधारणत: अधिकांश सिनेमा हॉल हैं, उनमें मात्र बारह प्रतिशत जीएसटी लगता है। हमारी सरकार चाहती है कि जो लोग घर खरीदते हैं, उनके ऊपर जीएसटी का बर्डन कम होना चाहिए। उसके हिसाब से हमने जीएसटी काउन्सिल से रिक्वेस्ट करके एक ग्रुप्स ऑफ मिनिस्टर तय किया है, इसे ग्रुप्स ऑफ मिनिस्टर पूरी तरीके से देख रहा है। जो घर खरीदने वाले हैं, उनके ऊपर टैक्स का बर्डन कैसे कम किया जाए, उनकी रिकमन्डेशन आएंगी तो जीएसटी काउन्सिल उचित निर्णय लेगी।

[अनुवाद]

जीएसटी का उद्देश्य छोटे व्यापारियों, विनिर्माताओं और सेवा प्रदाताओं को लाभ पहुंचाना है। छोटे व्यापारियों के लिए जीएसटी से छूट 20 लाख रुपये से दोगुनी कर 40 लाख रुपये कर दी गई है। इसके अलावा, 1.5 करोड़ रुपये तक का कारोबार करने वाले छोटे व्यापारियों को एक आकर्षक कंपोजीशन स्कीम की पेशकश की गई है जिसमें वे केवल एक वार्षिक विवरणी में 1% की समान दर से कर अदा करते हैं। इसी प्रकार, 50 लाख रुपये तक के छोटे सेवा प्रदाता अब कंपोजीशन स्कीम का विकल्प दे सकते हैं और 18% की बजाय 6% की दर से जीएसटी का भुगतान कर सकते हैं। 35 लाख से अधिक छोटे व्यापारी, विनिर्माता और सेवा प्रदाता इन व्यापारी हितैषी उपायों से लाभान्वित होंगे। जल्दी ही, जीएसटी का भुगतान करने वाले 90% से अधिक व्यापारियों को तिमाही विवरणी ही भरनी होगी। जिसकी भी टर्न ओवर टोटल पांच करोड़ रुपये से कम है, उनको तीन महीने में सिर्फ एक बार रिटर्न भरना पड़ेगा।

ऐसी बड़ी दर कटौतियां और छूटों के बावजूद, राजस्व की प्रवृत्ति उत्साहजनक है। चालू वर्ष में औसत मासिक कर संग्रहण 97,100 करोड़ रुपये प्रति माह रहा है जबकि प्रथम वर्ष में यह 89,700 करोड़ रुपये प्रतिमाह था। *[हिन्दी]* अभी सिर्फ दूसरा साल ही चल रहा है और इसमें इतनी वृद्धि हो गई। कल फिगर आया, अंदाजन इस साल जनवरी का जीएसटी एक लाख करोड़ रुपये पार कर गया है,...*(व्यवधान)* यह लगभग एक लाख तीन हजार करोड़ रुपये जनवरी का जीएसटी कलैक्शन अनुमानित है। राज्यों के राजस्व में सुधार हो रहा हैं जहां पहले पांच वर्षों के लिए राजस्व में 14% की वृद्धि की गारंटी है। हर राज्य को चौदह प्रतिशत उनके टैक्स ग्रोथ को केन्द्र सरकार ने सुनिश्चित किया है और अंडर राइट किया है। जिसकी ग्रोथ कम भी हो तो उसको केन्द्र सरकार अधिक पैसा देती है। मैं समझता हूं कि यह अपने आप में जीएसटी को लागू करने और सफलता से लागू करने में यह एक विशेषता रही।

[अनुवाद]

सीमा-शुल्क और सीमा पार व्यापार में सुधार

'मेक इन इंडिया' पहल को बढ़ावा देने के लिए, हमने सीमा शुल्क और प्रक्रियाओं को युक्तिसंगत बनाया है। हमारी सरकार ने 36 महत्वपूर्ण वस्तुओं पर शुल्कों को समाप्त कर दिया है। विनिर्माण और निर्यात के लिए आयात शुल्क मुक्त पूंजीगत माल और निविष्टियों के आयात की संशोधित प्रणाली शुरू किए जाने साथ-साथ सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 65 के अंतर्गत एक स्थल पर अनुमोदन शुरू किया गया है। भारतीय सीमा शुल्क विभाग निर्यात/आयात लेन-देन का पूरा और व्यापक डिजिटलीकरण शुरू कर रहा है और नियार्त से जुड़ी संभारिकी में सुधार लाने के लिए आरएफआईडी का प्रयोग कर रहा है।

काले धन के खिलाफ अभियान और नोटबंदी

हमारी सरकार अपने देश से काले धन की बुराई को जड़ से समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। पिछले साढ़े चार वर्षों के दौरान काला धन कानून, भगोड़े आर्थिक अपराधी अधिनियम, और नोटबंदी के रूप में हमारे द्वारा उठाए गए कदमों से 1,30,000 करोड़ रुपये के मूल्य की आस्तियां कर के दायरे में आई हैं, लगभग 50,000 करोड़ रुपये की परिसंपत्तियां जब्त और कुर्क की गई हैं और बड़ी मात्रा में नकदी रखने वाले लोगों को अपनी आय के साधन बताने के लिए मजबूर होना पड़ा है। इस अवधि के दौरान, लगभग 6,900 करोड़ रुपये की बेनामी आस्तियां और 1,600 करोड़ रुपये की विदेशी आस्तियों को जब्त कर लिया गया है।

3,38,000 शेल कंपनियों की पहचान की गई है और उनका पंजीकरण रद्द कर दिया गया है और उनके निदेशकों को अयोग्य घोषित कर दिया गया है। 2017-18 में प्रत्यक्ष कर संग्रहण में 18% की वृद्धि और कर आधार में वृद्धि हुई है जब वित्त वर्ष 2017-18 में पहली बार 1.06 करोड़ लोगों ने आय कर विवरणी दाखिल की। एक करोड़ से अधिक लोगों ने डिमोनेटाइजेशन के बाद पहली बार इन्कम टैक्स रिटर्न भरा है।

अगले दशक के लिए विज़न

[हिन्दी]

यह सरकार माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में बहुत ही तेज गति से प्रगति कर रही है और समाज के हर वर्ग तक विकास पहुंचे, इसके लिए प्रतिबद्ध है। अब मैं आने वाले दस वर्षों के बारे में कुछ बातें आपके समक्ष रखना चाहूंगा।...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने आने वाले समय के लिए भारत के विकास की बुनियाद रख दी है।...*(व्यवधान)* माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बार जिक्र किया था...*(व्यवधान)* शायद रामलीला की एक बार फिर सबकों याद आ रही है।...*(व्यवधान)* हमने उन अनेक समस्याओं को सुलझाया है, जो हमारे समाज और अर्थव्यवस्था की संपूर्ण क्षमता को हासिल करने में रोड़ा अटका रही थी। अगले पांच वर्षों में हम 5 ट्रिलियन डालर की अर्थव्यवस्था बनने वाले हैं और इसके बाद अगले 8 वर्षों में 10 ट्रिलियन डालर की अर्थव्यवस्था बनने की इच्छा रखते हैं।

भारतीय संस्कृति में, जो कुछ भी शुभ है, उसके द्वारा दसों दिशाओं में शुभ सृजन और शुभ कर्म की ही अपेक्षा की जाती है। कुछ अच्छा काम करो तो वह चारों दिशाओं में फैलना चाहिए और उसका लाभ चारों दिशाओं तक पहुंचना चाहिए। मैं दस सर्वाधिक महत्वपूर्ण आयामों के लिए अपना विज़न प्रस्तुत करुंगा जो इस देश को और हमारी सरकार को वर्ष 2030 तक प्रेरणा देगी।

इस विज़न का पहला आयाम 10 ट्रिलियन डालर की अर्थव्यवस्था और सहज-सुखद जीवन के लिए भौतिक तथा सामाजिक अवसंरचना का निर्माण करना होगा। इसमें सड़कें, रेलवे, बंदरगाह, हवाई अड्डे, शहरी परिवहन, गैस और विद्युतीय पारेषण और अंतर्देशीय जलमार्ग की अगली पीढ़ी की अवसंरचना शामिल होगी। सामाजिक अवसंरचना के मोर्चे पर प्रत्येक परिवार के पास रहने को अपना आवास होगा, और वे लोग एक स्वस्थ, स्वच्छ और स्वास्थ्यवर्धक अच्छे माहौल में रहेंगे। हम शीर्ष नेतृत्व उपलब्ध कराने वाले उत्कृष्ट संस्थानों में गुणवत्तापूर्ण, विज्ञानोन्मुखी शिक्षा प्रणाली का भी निर्माण करेंगे।

हमारे विज़न का दूसरा आयाम का एक डिजिटल भारत का निर्माण करना है जो अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र, देश के कोने-कोने में पहुंचेगी और हम सभी भारतवासियों की जिंदगी को प्रभावित करेगी।...*(व्यवधान)* सरकारी प्रक्रियाओं और निजी संव्यवहारों के डिजटलीकरण से हालिया वर्षों में प्राप्त सफलता के दम पर 2030 की डिजिटल अवसंरचना और डिजिटल अर्थव्यवस्था का निर्माण होगा। इस प्रयास में हमारा युवा वर्ग डिजिटल भारत के सृजन में बेशुमार स्टार्ट-अप और इस इकोसिस्टम में मिलियन रोजगार का सृजन करते हुए नेतृत्व करेगा।...*(व्यवधान)*

भारत को हरी भरी धरती और साफ स्वच्छ नीले आसमां वाला एक प्रदूषण मुक्त राष्ट्र बनाना हमारी विज़न का तीसरा आयाम है।...*(व्यवधान)* यह भारत बिजली की गाड़ियों पर दौड़ेगा जहां नवीकरणीय ऊर्जा आपूर्ति का प्रमुख स्रोत होगी। भारत बिजली की गाड़ियों और ऊर्जा संग्रहण उपकरणों के जरिए परिवहन क्रांति में दुनिया को रास्ता दिखाएगा। आयात पर निर्भरता कम होगी और हमारी जनता के लिए ऊर्जा की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। *[हिन्दी]* मैडम स्पीकर, जब विदेश से हमें तेल नहीं लाना पड़ेगा, गैस नहीं लानी पड़ेगी, रिन्यूएबल एनर्जी के स्रोत और तेज गति से बिजली देंगे और इलेक्ट्रिक कार्स में सफर करेंगे तो मेरा मानना है कि विदेशी मुद्रा बचेगी और देश आत्मनिर्भर बनेगा।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

आधुनिक डिजिटल प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके ग्रामीण औद्योगिकीकरण का विस्तार करके बड़े पैमाने पर रोजगार सृजित करना हमारी विज़न का चौथा आयाम है। यह आयाम 'मेक इन इंडिया' के दृष्टिकण पर आधारित होगा ताकि जमीनी स्तर के क्लस्टर, संरचनाएं और तंत्र विकसित किए जा सकें जिसमें देश के कोने-कोने में फैले एमएसएमई, ग्राम उद्योग और स्टार्टअप शामिल किए जाएंगे। भारत जब विभिन्न क्षेत्रों में वैश्विक निर्माण हब बनने जा रहा है, जिसमें आटोमोबाइल्स, इलैक्ट्रानिक्स, रक्षा और चिकित्सा उपकरण इत्यादि शामिल हैं।

हमारी नदियां और जलाशय हमारे जीवन के आधार हैं। गंगा नदी को साफ करने के लिए हमारी सरकार ने अथक

प्रयास किए हैं। 2030 के भारत के लिए हमारे विज़न का पांचवां आयाम स्वच्छ नदियां हैं जिसमें सभी भारतीयों को स्वच्छ पेयजल, जीवन को पोषण देने वाले जल का लघु सिंचाई तकनीकों के प्रयोग के जरिए सिंचाई में जल का सक्षम तरीके से उपयोग शामिल है।

तटवर्ती इलाकों में बड़ी संख्या में रह रहे लोगों का जीवन स्तर बेहतर बनाने और उनकी सार्थक जिंदगी सुनिश्चित करने हेतु, विशेष रूप से "ब्लू इकोनोमी" का दोहन करके, भारत की लंबी तटरेखा अर्थव्यवस्था की शक्ति बन सकती है। मैं समझता हूं कि गुजरात के दिनों से ही माननीय प्रधानमंत्री जी की संवेदना उन लोगों के साथ रही है, जो मछुआरे हैं, जो कोस्ट्स के साथ काम करते हैं।...*(व्यवधान)* "सागरमाला" कार्यक्रम के प्रयासों में हम तेजी लाएंगे और तेजी से अन्य आंतरिक जलमार्ग विकसित करेंगे। हमारे विज़न का छठा आयाम हमारी तटरेखा और समुद्र हैं जो भारत के विकास में अहम भूमिका निभाएंगे।

हमारे विज़न का सातवां आयाम हमारा अनंत आकाश है। हमारा अंतरिक्ष कार्यक्रम-गगनयान, भारत दुनिया के उपग्रहों को छोड़ने के लिए "लांच पैड" बन गया है और 2022 तक भारतीय अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में भेजना हमारे विज़न के आयाम को दर्शाता है।...*(व्यवधान)*

खाद्यान्न में भारत को आत्म निर्भर बनाना, विश्व की खाद्यान्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विश्व को खाद्यान्न निर्यात करना और सर्वाधिक जैविक तरीके से खाद्यान्न पैदा करना हमारे विज़न का आठवां आयाम है। "मूल्य-वर्धन" पर ध्यान केंद्रित करके आधुनिक कृषि पद्धतियों के जरिए उच्च कृषि उत्पादन तथा उत्पादकता प्राप्त की जाएगी। कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण संरक्षण पैकेजिंग और शीतगारों के रख-रखाव पर हमें विशेष ध्यान देना होगा।

स्वस्थ भारत हमारे विज़न का नौवां आयाम है। आरोग्यकर वातावरण और आवश्यक स्वास्थ्य अवसंरचना के समर्थन के साथ एक स्वस्थ समाज का निर्माण करने पर हम अपना ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं। हमारी सरकार ने आयुष्मान भारत योजना शुरू की है। 2030 तक, हम, सभी के लिए मुक्त स्वास्थ्य देख-रेख और एक कार्यात्मक तथा व्यापक आरोग्यकर प्रणाली की दिशा में कार्य करेंगे। समान अधिकार, सुरक्षा एवं सशक्तिकरण के साथ महिलाओं की पूर्ण भागीदारी के स्वस्थ भारत का निर्माण किया जाएगा।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया, हमारे विज़न को टीम इंडिया अर्थात भारत को न्यूनतम सरकार अधिकतम अभिशासन वाले राष्ट्र में कायापलट करने वाली चुनी हुई सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले हमारे सहकर्मियों और अधिकारियों द्वारा मूर्त रूप दिया जा सकता है। यह दसवां आयाम है। ...*(व्यवधान)* 2030 के हमारे भारत में ऐसे कर्मठ और जिम्मेदार अधिकारी होंगे जो जनता के प्रति मित्रवत व्यवहार करेंगे।

इस व्यापक दस आयाम वाले विज़न के साथ, हम एक ऐसे भारत की रचना करेंगे जहां गरीबी, कुपोषण, गंदगी और निरक्षरता का नामोनिशान नहीं होगा। भारत एक आधुनिक, प्रौद्योगिकी चालित, उच्च विकास, समरसतापूर्ण और पारदर्शी समाज होगा।

महोदया, मैं अब वर्ष 2019-20 और इससे आगे के राजकोषीय कार्यक्रम की बात पर आता हूँ।

मैं आज जिस आय और व्यय का अनुमान प्रस्तुत कर रहा हूं, उसमें वर्ष 2019-20 का राजकोषीय घाटा जीडीपी का 3.4% है। वर्ष 2018-19 के लिए यदि हम राजकोषीय घाटा 3.3% पर बनाए रखते तो 2019-20 में राजकोषीय घाटे को समेकित करने के लिए भी कदम उठाए जा सकते थे। तथापि, हमने किसानों को आमदनी बढ़ाने में सहायता प्रदान करने के लिए सं.अ. 2018-19 में 20,000 करोड़ रुपये और ब.अ. 2019-20 में 75,000 करोड़ रुपये की राशि की व्यवस्था की है। यदि हम इस आमदनी समर्थन को छोड़ दे तो, 2018-19 के लिए राजकोषीय घाटा 3.3% से कम और 2019-20 के लिए 3.1 प्रतिशत से कम होता।

सं.अ. 2018-19 में कुल व्यय 24,57,235 करोड़ रुपये से बढ़कर ब.अ. 2019-20 में 27,84,200 करोड़ रुपये हो गया है अर्थात इसमें 3,26,965 करोड़ रुपये अथवा लगभग 13.30% की वृद्धि हुई है। *[हिन्दी]* ...*(व्यवधान)* और इसको इस परिपेक्ष्य में देखना होगा कि हम महंगाई 10 प्रतिशत से सिफ साढ़े चार प्रतिशत पर ले आए। यह नॉमिनल ग्रोथ के हिसाब से खर्चा बढ़ता है। अगर 10 प्रतिशत महंगाई कगे हिसाब से चलता तो आप सोचिए, इसमें ग्रोथ कुछ भी नहीं होती। यह हमारे काम के परिणाम हैं कि कम महंगाई और फिर तेज गति से सरकार खर्चा कर रही है।...*(व्यवधान)* *[अनुवाद]* कम मुद्रास्फीति को देखते हुए यह उच्च वृद्धि दर्शाता है। ब.अ. 2019-20 के लिए पूंजीगत व्यय 3,36,292 करोड़ रुपये होने का अनुमान है। ब.अ. 2019-20 में केन्द्रीय प्रायोजित

योजनाओं (सीएसएस) के लिए 3,27,679 करोड़ रुपये की राशि आवंटित किए जाने का प्रस्ताव है जबकि सं.अ. 2018-19 में 3,04,849 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई थी। राष्ट्रीय शिक्षा मिशन के लिए आवंटन स.अ. 2018-19 में 32,334 करोड़ रुपये से बढ़ाकर ब.अ. 2019-20 में 38,572 करोड़ रुपये किया जा रहा है। एकीकृत बाल विकास स्कीम (आईसीडीएस) के लिए आवंटन सं.अ. 2018-19 में 23,357 करोड़ रुपये से बढ़ाकर ब.अ. 2019-20 में 27,584 करोड़ रुपये किया जा रहा है।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए आवंटन में अत्यधिक बढ़ोत्तरी किए जाने का प्रस्ताव है। ब.अ. 2018-19 में अनुसूचित जाति के लिए 56,619 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई थी। इसे सं.अ. में बढ़ाकर 62,474 करोड़ रुपये कर दिया गया है। इस आवंटन को ब.अ. 2019-20 में पर्याप्त रूप से बढ़ाकर 76,801 करोड़ किए जाने अर्थात ब.अ. 2018-19 के मुकाबले 35.6% वृद्धि किए जाने का प्रस्ताव है। यह अनुसूचित जातियों के लिए 35.6 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी है।...*(व्यवधान)* अनुसूचित जनजातियों के लिए ब.अ. 2018-19 में 39,135 करोड़ रुपये की तुलना में ब.अ. 2019-20 में प्रस्तावित आवंटन राशि को 28% बढ़ाकर 50,086 करोड़ रुपये किए जाने का प्रस्ताव है।

हमने सरकारी उद्यमों को लोगों के प्रति जवाबदेह बनाने के लिए सरकारी उद्यम परिसंपत्ति प्रबंधन कार्यसूची का अनुसरण किया है। कुल मिलाकर, 57 सीपीएई 13 लाख करोड़ रुपये से अधिक के बाजार पूंजीकरण के साथ सूचीबद्ध हैं। 2017-18 के दौरान, सरकार को विनिवेश आय से 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि प्राप्त हुई है। हमें पूरा विश्वास है कि हम इस वर्ष 80,000 करोड़ रुपये के लक्ष्य को पार कर जाएंगे।

हमने 2020-21 तक 3% के राजकोषीय घाटे का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अपनी गति और लय बरकरार रखी है। वर्ष 2017-18 में भारत का ऋ.ण और जीडीपी अनुपात 46.5% था। एफआरबीएम अधिनियम में यह निर्धारित किया गया है कि 2024-25 तक भारत सरकार का ऋण और जीडीपी अनुपात घटाकर 40% तक लाया जाना चाहिए। राजकोषीय घाटा समेकन कार्यक्रम को पूरा करने के साथ-साथ अब हम ऋण समेकन पर भी ध्यान केन्द्रित करेंगे।

पिछले वर्ष हमारी सरकार ने वायदा किया था कि हम, वित्तीय प्रतिभूतियों के लेन-देन पर लगाए गए और एकत्रित किए गए स्टाम्प शुल्क में सुधार करेंगे। मैं, इस वित्त विधेयक के जरिए, इस संबंध में आवश्यक संशोधन करने का प्रस्ताव कर रहा हूं। प्रस्तावित संशोधन एक अति विशिष्ट सुचारु प्रणाली की शुरूआत करेंगे। एक लेन-देन से संबंधित एक लिखत पर स्टाम्प शुल्क लगाए जाएंगे और स्टॉक एक्सचेंजों के माध्यम से एक स्थान पर ही एकत्रित किए जाएंगे। इस प्रकार एकत्रित किए गए शुल्क को क्रेता ग्राहक के अधिवास के आधार पर राज्य सरकार के साथ निर्बाध रूप से साझा किया जाएगा।

भाग – ख

कर संबंधी प्रस्ताव

अध्यक्ष महोदया, मैं अब कर संबंधी प्रस्तावों के 'भाग-ख' पर आता हूं। भारत के सभी लोगों और हमारी सरकार की ओर से सर्वप्रथम मैं राष्ट्र निर्माण में बहुमूल्य योगदान करने और समाज के गरीब तथा सीमांत वर्गों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए सभी करदाताओं को धन्यवाद देता हूं। आपके द्वारा दिए गए करों से हमारी माताओं और बहनों को शौचालय सुविधा और कुकिंग गैस का कनेक्शन उपलब्ध करवाया जाता है जिससे उन्हें गरिमा प्रदान करने में मदद मिलती है। आपके कर से उन गरीबों को बिजली के कनेक्शन दिए जाते हैं जो पीढ़ियों से अंधकार में रह रहे थे। आपके द्वारा दिए जाने वाले कर से 50 करोड़ भाइयों और बहनों तथा बच्चों को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध होगी।...*(व्यवधान)* आप ही वन रैंक वन पेंशन के माध्यम से हमारे सेवानिवृत जवानों के लिए सम्मान, गरिमा और सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित कर रहे हैं। करदाताओं, आपको धन्यवाद।

पिछले साढ़े चार वर्षों के दौरान हमारे द्वारा किए गए कर संबंधी वृहत् सुधारों के कारण कर संग्रहण और कर आधार दोनों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और हम संतुलित कराधान-उच्च अनुपालन व्यवस्था प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़े हैं। इसलिए यह न्यायोचित होगा कि कर सुधारों से होने वाले कुछ लाभ मध्यमवर्गीय करदाताओं को भी दिए जाएं। इसको ध्यान में रख कर मेरा प्रस्ताव है कि ऐसे करदाताओं के कर भार में और कमी की जाएं। हालांकि, अध्यक्ष महोदया, परंपरा के अनुसार मुख्य कर प्रस्ताव नियमित बजट में प्रस्तुत किए जाएंगे, छोटे करदाता विशेषकर मध्यमवर्ग, वेतनभोगी, पेंशनभोगी और वरिष्ठ नागरिक वर्ष के प्रारंभ में ही अपनी कर देनदारी के बारे में मानसिक निश्चिंतता चाहते हैं। इसलिए, विशेषकर ऐसे वर्ग के व्यक्तियों से जुड़े कर

प्रस्ताव लंबित नहीं रखे जाने चाहिए। अत: फिलहाल वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान आयकर की मौजूदा दरें जारी रखते हुए मैं निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूं:

जिन करदाताओं की आय योग्य वार्षिक आय 5 लाख रुपये तक है, उन्हें कर में पूर्ण रूप छूट मिलेगी और इसलिए उन्हें किसी प्रकार का आयकर देने की आवश्यकता नहीं होगी...*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.32 बजे

इस समय श्री राजेश रंजन आगे आकर सभा पटल के निकट खड़े हो गए।

इसके फलस्वरूप, 6.50 लाख तक की सकल आय वाले व्यक्तियों को भी किसी प्रकार का आयकर नहीं देना होगा, यदि वे भविष्य निधि, विशिष्ट बचतों, बीमा आदि में निवेश करेंगे। यदि आप स्पेसिफाइड सेविंग्स में 6.50 लाख रुपये तक इनवेस्टमेंटस करते हो, तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। वस्तुत: अतिरिक्त कटौतियों, जैसे कि गृह ऋण पर 2 लाख रुपये तक का ब्याज, शिक्षा ऋणों पर ब्याज, राष्ट्रीय पेंशन स्कीम में अंशदान, चिकित्सा बीमा, वरिष्ठ नागरिकों के लिए किए चिकित्सा-व्यय आदि के कारण इससे अधिक सकल आय वाले व्यक्तियों को भी कर का कोई भुगतान नहीं करना होगा। इससे लगभग 3 करोड़ मध्यमवर्गीय करदाताओं को 18,500 करोड़ रुपये का लाभ प्राप्त होगा। इन करदाताओं में अपना व्यवसाय करने वाले, छोटे व्यापारी वेतनभोगी, पेंशनभोगी और वरिष्ठ नागरिक शामिल होंगे। अगल-अलग वर्गों के लगभग तीन करोड़ मध्यम वर्गीय लोगों को टैक्स से पूरी तरह से मुक्ति मिल जाएगी।

वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए मानक कटौती (स्टेंडर्ड डिडक्शन) को 40,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दिया गया है। इससे 3 करोड़ से अधिक वेतनभोगियों और पेंशनभोगियों को 4,700 करोड़ रुपये का अतिरिक्त कर लाभ प्राप्त होगा।

इस समय कल्पित किराए पर आयकर उसकी स्थिति में देय होता है जब किसी के पास एक से अधिक ऐसे मकान हों जिनमें स्वयं रह रहा हो। अपनी नौकरी, बच्चों की शिक्षा, माता-पिता की देखभाल जैसी जिम्मेदारियों के चलते मध्यम वर्ग द्वारा दो स्थानों पर परिवारों के भरण-पोषण की कठिनाई को ध्यान में रखते हुए, मैं, स्वयं रहने वाले दूसरे मकान के कल्पित किराए पर भी आयकर में छूट देने का प्रस्ताव करता हूं।

[हिन्दी]

यह एक बहुत खास विषय मैं आप सब के समक्ष रखना चाह रहा हूं। बैंकों/डाकघरों में जमा धनराशियों से अर्जित ब्याज पर स्रोत पर कर की कटौती की सीमा 10,000 रुपये से बढ़ाकर 40,000 रुपये की जा रही है। मैडम स्पीकर, मैं इसे इसलिए महत्व का कह रहा हूँ, क्योंकि हमारे कई पेंशनर्स हैं, कई महिलाएं हैं, जो नौकरी या काम नहीं करती है और अपनी पूंजी बैंक में रखती हैं। टी.डी.एस. के कारण उनको इनकम टैक्स रिटर्न भरना पड़ता था, रिफंड लेना पड़ता था। अब चालीस हजार तक जब बैंक से या पोस्ट ऑफिस डिपॉज़िट्स से ब्याज मिलेगा, तो उस पर टी.डी.एस. नहीं होगा। *[अनुवाद]* इससे छोटे जमाकर्ताओं और नौकरी न करने वाले दंपत्तियों को लाभ होगा। इसके अलावा, किराए के संबंध में स्रोत पर कर की कटौती की सीमा को 1,80,000 रुपये से बढ़ाकर 2,40,000 रुपये करने का प्रस्ताव है ताकि छोटे करदाताओं को राहत दी जा सके। *[हिन्दी]* अगर आपका रेंट दो लाख चालीस हजार रुपये तक होता है, तो टी.डी.एस. की जरुरत नहीं पड़ेगी।

मैडम, मध्यम वर्गीय परिवारों में एक और ज्वलंत समस्या कई बार देखी गई है। मैं मुंबई से आता हूं। मुंबई में हमने कई बार देखा कि कोई दक्षिण मुंबई में रहता है, वह अपना घर बेचकर दोनों बच्चों के लिए दो घर खरीदना चाहे, दूर इलाकों में जाना चाहे, तो उसके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय सरकार ने इस बजट द्वारा लिया है।

[अनुवाद]

आयकर अधिनियम की धारा 54 के तहत पूंजी-गत लाभ के पुनर्निवेश पर मिलने वाली छूट का दायरा 2 करोड़ रुपये तक के पूंजी-गत लाभ अर्जित करने वाले करदाताओं के लिए एक आवासीय मकान से दो आवासीय मकान में पुनर्निवेश तक बढ़ाया जाएगा। यह छूट जीवन-काल में एक ही बार प्राप्त की जा सकेगी।

सस्ते आवासों की उपलब्धता बढ़ाने हेतु आयकर अधिनियम की धारा 80-झखक के तहत दिए जाने वाले लाभ की अवधि एक वर्ष तक और बढ़ाई जा रही है, अर्थात् यह लाभ अब 31 मार्च, 2020 तक अनुमोदित गृह परियोजनाओं को भी दिया जा रहा है। अब जो भी नया हाउसिंग प्रोजेक्ट बनेगा, गरीबों और मध्यम वर्गीयों के लिए, वर्ष 2020 तक अगर वे अपने आप को रजिस्टर कर लें, तो उनको इनकम टैक्स में छूट मिलेगी। साथ ही, स्थावर संपदा सेक्टर को प्रोत्साहन देने के

लिए मैंने, न बिकी संपत्तियों के कल्पित किराए पर आय-कर छूट की अवधि, परियोजना पूरी होने वाले वर्ष के अंत से एक वर्ष से बढ़ाकर दो वर्ष करने का प्रस्ताव किया है। *[हिन्दी]* अगर किसी के पास कोई घर है, जो बिका नहीं है या कोई ऑफिस है, जो बिका नहीं है, तो उसको एक साल के बाद नोशनल रेंट पर इनकम टैक्स भरना पड़ता था। अब दो साल तक उनको इनकम टैक्स की छूट दे दी गई है।

मैडम, अब मैं अपने कन्क्लूडिंग रिमार्क्स पर आता हूं।...*(व्यवधान)* अध्यक्ष महोदया, यह सिर्फ इंटेरिम बजट नहीं है, यह देश की विकास यात्रा का माध्यम है। यह जो देश बदल रहा है, देशवासियों के जोश से बदल रहा है।...*(व्यवधान)* उसका श्रेय और उसका यश उन्हीं को जाता है, भारत की जनता को जाता है। हमारी सरकार के कार्यकाल में विकास एक जन आंदोलन बन गया है।...*(व्यवधान)*

मैडम स्पीकर, हिन्दी के एक बहुत विख्यात कवि थे। बहुत प्रगतिशील माने जाते थे। हिन्दी में कविताएं करते थे, पर मूलतः मेरे राज्य महाराष्ट्र से आते थे, जहां से मैं भी आता हूं। मराठी भाषी थे। उनकी कविता की मात्र दो पंक्तियां आपके समक्ष रखना चाहता हूं। सिर्फ दो पंक्तियां हैं:

"एक पांव रखता हूं, हजार राहें फूट पड़ती हैं।"

हमने नए भारत के निर्माण के लिए इतने नए सशक्त प्रभावी कदम उठाए हैं कि आज भारत हर क्षेत्र में दुनिया के स्तर पर अनंत संभावनाओं से भरे हुए देश के रूप में देखा जाता है। हम देशवासियों के बलबूते पर भारत को दुनिया का एक अग्रणी देश बनाएंगे। हम सबने साथ मिलकर अभी नींव रखी है। हमने केवल नींव रखी है। अब हम भारत की जनता के साथ मिलकर इस देश की भव्य इमारत बनाने जा रहे हैं। मैडम स्पीकर, इसके लिए हमने एक निर्णायक नेतृत्व दिया, जिसकी नीयत साफ है, नीति स्पष्ट है और निष्ठा अटल है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष, महोदया, इसी के साथ, मैं यह बजट इस गरिमामय सदन को समर्पित करता हूं।

माननीय अध्यक्ष : अब, मद संख्या-2 श्री पीयूष गोयल।

...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : अभी नहीं, अभी इनको बोलने दीजिए। पीयूष जी, आप बोलिए।

...*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.43 बजे

विवरण

(एक) मध्यम - अवधि राजवित्तीय नीति सह राजवित्तीय नीति युक्ति संबंधी विवरण; और

(दो) वृहत - आर्थिक रूपरेखा संबंधी विवरण *

रेल मंत्री, कोयला मंत्री तथा कॉपोरेट कार्य मंत्री (श्री पीयूष गोयल) : मैं राजवित्तीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003 की धारा 3(1) के अंतर्गत निम्नलिखित विवरण सभा पटल पर रखता हूं। :–

(एक) मध्यम - अवधि राजवित्तीय नीति सह राजवित्तीय नीति युक्ति संबंधी विवरण; और

(दो) वृहत - आर्थिक रूपरेखा संबंधी विवरण

अपराह्न 12.44 बजे

वित्त विधेयक, 2019 *

रेल मंत्री, कोयला मंत्री, वित्त मंत्री तथा कॉपोरेट कार्य मंत्री (श्री पीयूष गोयल) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्त विधेयक, 2019 को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

"कि वित्त विधेयक, 2019 को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री पीयूष गोयल : महोदया, मैं विधेयक पुरःस्थापित** करता हूं।

माननीय अध्यक्ष : वित्त विधेयक, 2019 पुरःस्थापित कर दिया गया है।

सभा सोमवार, 4 फरवरी, 2019 को पूर्वाह्न 11.00 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 12.45 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा सोमवार, 4 फरवरी, 2019/15 माघ, 1940 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

---

* सभा पटल पर रखे गए और ग्रंथालय में भी रखे गए। ***देखिये*** संख्या एल टी - 10777/16/19

* भारत के राजपत्र असाधारण, भाग-II, खंड-2, दिनांक- 1/2/2019 में प्रकाशित।

** राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित।